न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / एलआर / 4545 / 2017 / जयपुर

1– रामेश्वरलाल पुत्र घीसालाल
2– मदनलाल पुत्र बंशीलाल
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम हिरनोदा तहसील फुलैरा जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1– श्रीमती रतनी देवी पुत्री लादूराम पत्नी गुलाबचन्द निवासी ए–17 / 339, प्रतानगर, लेबर कॉलोनी भीलवाड़ा
2– श्रीमती मुन्नीदेवी पुत्री लादूराम पत्नी सुवालाल निवासी ए–51, संजय नगर अजमेर रोड जयपुर।
3– श्रीमती चंदादेवी पुत्री लादूराम पत्नी बिहारीलाल निवासी हिरनोदा हाल निवासी बेगस तहसील व जिला जयपुर।
4– कमलादेवी पत्नी रूपनारायण उर्फ पूरणमल
5– हेमराज पुत्र रूपनारायण उर्फ पूरणमल
समस्त निवासी ग्राम हिरनोदा हाल निवासी मेहनत नगर, मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर।
6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक।
7– ग्राम पंचायत हिरनोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर जरिये सरपंच।

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य

उपस्थितः–
श्री वी.पी.सिंह, अभिभाषक, प्रार्थीगण की ओर से।
श्री एस.सी.पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से।

————

दिनांकः 09.3.2021

निर्णय

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के सम्भागीय आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06–3–2017 जो कि प्रकरण संख्या 06 / 2017 में पारित किया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वर्तमान अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया आराजी खसरा संख्या 702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा की आराजी उनके पति व पिता लादू के नाम दर्ज थी। लादू की मृत्यु दिनांक 12–10–1972 को हो चुकी थी जिसके वारिसों की जांच किये बिना नामान्तकरण संख्या 196 रूपनारायण के नाम तस्दीक कर दिया जबकि लादू के रूपनारायण नाम का कोई वारिस नहीं है उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21–6–2016 से

स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रतिप्रेषित कर लादू के वारिसों की जांच कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा अपील संख्या 289/16 अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की जो उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–11–2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रतिप्रेषित कर दिया जिसके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या 06/17 सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में पेश किया जिसे उन्होंने अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 06–3–2017 से खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– मैंने पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक निगराकारान का कथन है कि सम्भागीय आयुक्त द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किया बिना सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। उनका कथन है कि मूल खातेदार लादू के देहान्त के पश्चात ग्राम पंचायत हिरनोदा द्वारा विधिवत जांच कर नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 25–10–1975 को उसके पुत्र रूपनारायण के नाम स्वीकार किया गया था तथा रूपनाराण से वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी दिनांक 07–1–1989 को खरीद की गई है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी अभिलिखित खातेदार से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। अप्रार्थीगण सिविल न्यायालय से पंजीकृत विक्रय पत्र को जब तक निरस्त नहीं करवा लेते तब तक नामान्तकरण की संक्षिप्त (summary)कार्यवाही से उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। वकील प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि प्रकरण राजस्व अभियान में निर्णित किया गया है जबकि राजस्व अभियान में मात्र राजीनामें के प्रकरण ही निस्तारित किये जा सकते है। उनका यह भी तर्क है कि नामान्तकरण संख्या 196 के तस्दीक होने के 41 वर्ष बाद प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया है। वकील प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों, कानूनी नजीरों एवं पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन किया बिना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

5– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 28–11–2016 को अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रतिप्रेषित किया गया था। तहसीलदार फुलेरा द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित होने के पश्चात दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 02–6–2017 को निर्णय पारित करते हुए लादू के वारिसान को 3/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध अपील संख्या 254/2017 मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश किये जाने से पूर्व ही पेश की जा चुकी है। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन हो चुकी है अतः खारिज फरमाई जावे।

6— पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष विवादित आराजी खसरा संख्या 702 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम हिरनोदा बाबत स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 196 को अपने आपको लादू पुत्र देवा के विधिक वारिसान बताते हुए चुनौती दी गई थी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21—6—2016 से प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रतिप्रेषित कर पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 21—6—2016 के विरूद्ध वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28—11—2016 से आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को प्रतिप्रेषित किया गया है। निर्णय दिनांक 28—11—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत नजरसानी याचिका भी सम्भागीय आयुक्त जयपुर द्वारा अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 06—3—2017 द्वारा खारिज की जा चुकी है। प्रतिप्रेषित आदेश की ताईद में तहसीलदार, फुलेरा द्वारा प्रकरण में साक्ष्य व सुनवाई की जाकर नये सिरे से दिनांक 02—6—2017 को अपना आदेश पारित करते हुए वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को विवादित आराजी के 3/4 हिस्से का अधिकारी माना है तथा वर्तमान प्रार्थीगण को रूपनारायण उर्फ पूरणमल का हिस्सा क्रय किये जाने से 1/4 का हिस्सेदार माना है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के कथन एवं प्रस्तुत अभिलेख अनुसार तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 254/17 राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है। इस प्रकार हमारी राय में हस्तगत प्रकरण सारहीन हो चुका है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

8— परिणामस्वरूप निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र कुमार पारख)
सदस्य